SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE. 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी.गोहद प्रकरण क्रमांक 94/17

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र० .

name, parentage, caste and address of accused-

नाम—प्रमोदं शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी बिरखडी पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

The offence complained of, and date of its alleged commission

- 1- यहिक आपने दिनांक 09.05.17 को 18:00 बजे बबलू मेडिकल के सामने भिण्ड ग्वालियर हाइवे रोड गोहद चौराहा में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 09-एम जे 2294 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 2. यहिक आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर पीर खान में टक्कर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की।
- 3. यहिक आपके पास उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को चलाने का बीमा नहीं था।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 279, एवं 337 भा0द0स0 एवं धारा 146 / 196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक</u>—

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed.

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 23.05.17 को पारित किया गया)

- 1. अभियुक्त को धारा 279 एवं धारा 337 भादस एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 279 एवं धारा 337 भादस एवं धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
- 2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंब प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
- 3. फलस्वरूप आरोपी को धारा 279 भादस के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 रूपऐ के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण करावास एवं भा.दं.सं. की धारा 337 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/— रूपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास तथा मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत 500/—रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यतिक्रम होने पर 15दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- 4. कारावास की सभी सजायें एक साथ चलेंगी ।
- 5. जप्तशुदा वाहन रजिस्टर्ड स्वामी को लौटाया जाये।

स्थान—गोहद दिनांक—23 / 05 / 17 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद सही /(प्रतिष्ठा अवस्थी)
जेएमएफसी गोहद